HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3779/2026

Mohan S/o Moti Pargi, Aged About 24 Years, Resident Of Village Survaniya, Police Station Ambapura, District Banswara, Rajasthan. (At Present Lodged In Dist. Jail Banswara)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vijay Kumar Gaur
For Respondent(s) : Mr. Hathi Singh Jodha, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

28/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 272/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 127(2), 70(1), 309(4) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्रार्थी–अभियुक्त को घटना के वक्त सहअभियुक्तगण के साथ मौजूद होना भी नहीं बताया और ना ही प्रार्थी–अभियुक्त पर किसी प्रकार का आरोप लगाया है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों का अवलोकन किया। पीड़िता के बयानों में प्रार्थी–अभियुक्त को नामजद नहीं किया गया है।

06. इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **मोहन पुत्र मोती पारगी** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

15-mayank/-